Ajanta
Page No.
Date

इकाई -2 भाषायी विविधता व बहुभाषिकता

* भाषा का बहुभाषिक परिदृश्य : भारत में भाषाएँ एवं भाषा-परिवार

हमारे देश में कई प्रकार की विविधताएँ है। भाषायी विविधता भी उनमें से एक है। पूरे विश्व में लगभग 5000 भाषाएँ हैं उनमें से करीब 1600 से अधिक भाषाएँ भारत में बोली जाती है। भारत के संदर्भ में यह कहना गलत नही होगा कि यहाँ अधिकांश व्यक्ति दो भाषाएँ जानते है। भाषायी विविधता हमारे समृद्धि का प्रतीक है। यह भारतीय अस्मिकता का अभिन्न अंग है। एक से अधिक भाषा जानने से व्यक्ति के पास शब्द का भंडार हो जाता है। जिससे उसके अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। उसे संवाद करने में आसानी होता है।

हिन्दी भाषा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। संसार में किए गए भाषा सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में हिन्दी का तीसरा स्थान है। भारत में यह लगभग 60 करोड़ लोगों की भाषा है। भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्र, अन्य राज्यों तथा विदेशों में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है। निम्नतालिका हिन्दी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएँ एवं प्रमुख बोलियों को स्पष्ट करती है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

भाषा	उपभाषाएँ	प्रमुख बोलियाँ
हिन्दी	(क) पश्चिमी हिन्दी	i) खड़ी बोली
		ii) ब्रज भाषा
		iii) हरियाणवी
		iv) बुन्देली
		v) कन्नौजी
	(ख) पूर्वी हिन्दी	i) अवधी
		ii) बघेली
		iii) छत्तीसगढ़ी
	(ग) राजस्थानी	i) मारवाड़ी
		ii) मेवाती
		iii) मालवी
		iv) जयपुरी
	(घ) बिहारी	i) भोजपुरी
		ii) मगही
		iii) मैथली
	(ङ) पहाड़ी	i) गढ़वली
		ii) कुमाऊँनी
		iii) मंडयाली

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Page No.
Date

* बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य

बिहार में भी परिदृश्य, बहुभाषिकता का है। बिहार में मुख्यतः मैथिली, अंगिका, वज्जिका, मगही और भोजपुरी बोली जाती है। इनके अतिरिक्त नागपुरिया, थारू, कुरमाली आदि बोलियां भी हैं। पहाड़ी भाषाओं में प्रमुख संथाली, मुंडारी उरांव, हो, खड़िया आदि है।

i) मैथिली - बिहार के सभी भाषाओं में मैथिली का साहित्य काफी समृद्ध है। इसका क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, चंपारण आदि तक फैला हुआ है। बोलियों के आधार पर इसे चार भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली तथा दक्षिणी मैथिली।

ii) मगही - यह बिहार के पटना, भागलपुर, मुंगेर और गया जिलों की भाषा है। गया में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा को ही मगही कहा जाता है।

iii) भोजपुरी - भोजपुरी का सर्वाधिक प्रयोग भोजपुर जिले में होता है, इसीलिए इसे भोजपुरी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम (पूर्वी) भी है यह गोरखपुर, देवरिया, छपरा, गोपालगंज, जौनपुर, बलिया आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

* भाषा और बोली

<u>भाषा</u> – भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। चाहे वह शब्द के द्वारा हो या वाक्य के द्वारा। अर्थात् शब्द और वाक्य मिलकर भाषा बनाते हैं। भाषा को हम दो रूपों में व्यक्त करते हैं – लिखित और मौखिक। भाषा पूरे देश की बोली होती है। जैसे भारत देश की भाषा हिन्दी है।

<u>बोली</u> – भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं और उन राज्यों की अपनी एक अलग ही बोली होती है। जैसे – पंजाब की पंजाबी, गुजरात में गुजराती, झारखंड में भोजपुरी। बोली का व्याकरण से कोई संबंध नहीं होता है।

* बहुभाषिकता के आयाम : बौद्धिक आयाम, शिक्षणशास्त्रीय आयाम

बहुभाषिकता हमारे देश की समृद्धि है। बहु-भाषिकता के संदर्भ में हुए अध्ययनों ने यह साबित कर दिया कि जो बच्चे सीखने के दौरान एक से अधिक भाषाओं में कुशलता का विस्तार करते हैं। ~~इसके~~ उनमें सीखने की प्रक्रिया के साथ ही रचनात्मकता और समाजिक सहिष्णुता जैसे गुणों का बेहतरीन विकास होता है। अतः हमें बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

⇒ बहुभाषिकता से जुड़ा ही एक मसला त्रिभाषा सूत्र है।
अनेक शिक्षक आयोगों ने इसे लागू करने की सिफारिश की है। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार –

i) प्रथम भाषा – विद्यालय में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो।

ii) द्वितीय भाषा –
a) हिन्दी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी हो।
b) गैर-हिन्दी राज्यों में – द्वितीय भाषा हिन्दी या अंग्रेजी हो।

iii) तृतीय भाषा – हिन्दी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।

इस तरह अपनी मूल भावना में त्रिभाषा सूत्र हिन्दी भाषी राज्यों के लिए हिन्दी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं (खासकर दक्षिण भारतीय भाषा) का और गैर हिन्दी राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा हिन्दी व अंग्रेजी का प्रावधान प्रस्तावित करता है। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसाएँ

Scanned by CamScanner

भारत की बहुभाषिक परिदृश्य में भाषायी जनतंत्र की स्वीकृति की वकालत करती है।

* भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान : अनुच्छेद 343-351, आठवीं अनुसूची

संविधान में धारा 343-351 तक हिंदी के राजभाषा रूप का विश्लेषण किया गया है। यानी प्रशासनिक भाषा के स्वरूपों पर संविधान अपनी स्थिति स्पष्ट करता है। एक ऐसे देश में जहाँ अनेक भाषा परिवारों की भाषा बोलने वाले के बीच स्वाभाविक जनतंत्र है। वहाँ संविधान इस बात को सुनिश्चित भाषाओं के नाम पर धमासान न मचे, और यह सुनिश्चित किया विभिन्न अभिव्यक्ति भाषाओं को समुचित स्थान मिले। इसी संदर्भ में आठवीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। 1950 में इसमें 14 भाषाएँ ~~जोड़~~ शामिल किया गया बाद में 8 और भाषाओं को जोड़ा गया। जो इस प्रकार है —

i) हिन्दी
ii) उर्दू
iii) असमिया
iv) बंगला
v) गुजराती
vi) कन्नड़
vii) कश्मीरी
viii) मलयालम
ix) मराठी
x) उड़िया
xi) पंजाबी
xii) संस्कृत
xiii) सिंधी
xiv) तमिल
xv) तेलुगु
xvi) कोंकणी
xvii) मणिपुरी
xviii) नेपाली
xix) मैथिली
xx) संथाली
xxi) डोगरी
xxii) बोडो

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Page No.
Date

⇒ भाषा का संविधान में जुड़ने का लाभ

किसी भाषा को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल हो जाने पर उस भाषा का महत्व बढ़ जाता है। वह भाषा राजभाषा का माध्यम बन जाती है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में ही उससे प्रमुख स्थान प्राप्त हो जाता है। उस भाषा के विकास हेतु सरकारी अनुदान मिलने लगता है। स्थानीय रचनाकारों व प्रतिभावों को मौका मिलने लगता है। केंद्रिय प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित परीक्षाओं में उसे भाषा के रूप में प्रतिनिधत्व मिलने लगता है। केंद्रिय विभागों में प्रादेशिक भाषा - अनुवादक के पदों का सृजन होने लगता है। न्यायलयों में कार्य करने की भाषा का विकल्प बनजाता है। साहित्य आकदेमी में उस भाषा को महत्व मिलने लगता है। उस भाषा में बजट भी जारी होने लगता है।

* भाषिक कक्षा और केस स्टडी

बहुत सारे छोटे-छोटे समूह है जो भिन्न भिन्न बोलियों का प्रयोग करते है। उनके बच्चे जब विद्यालय में दाखिला लेते है। तो उनमे (उनका भाषा) और विद्यालयी भाषा में रिश्ता बनाने को सजग रहना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner